

प्रश्न सं. [क. 926]

तारांकित प्रश्न क्रमांक-926
द्वारा- माननीय विधायक श्री संजय यादव
परिशिष्ट-"अ"

| थाना एवं जिला | सूचनाकर्ता नाम व पता | अप.क्र. धारा पंजीबद्ध करने का दिनांक | घटना दिनांक समय व घटना स्थल | नाम आरोपीगण | गिरफ्तार आरोपी | फरार आरोपी | प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं संक्षिप्त विवरण |
|--------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| त्यौदा जिला विदिशा | जाकिर खान निवासी जिला देवास | 190/2021 धारा 406, 435, 120ख भादवि वृद्धि धारा 407, 409 भादवि दिनांक 04.07.2021 | दिनांक 24.04. 2021 के 00.15 बजे सागर विदिशा रोड, कस्बा बागरोद, जिला विदिशा | 1. जाकिर खान निवासी जिला देवास 2. साहिल जिला बड़वानी | जाकिर खान निवासी जिला देवास, गिरफ्तारी दिनांक 05.12. 2022 | साहिल जिला बड़वानी | प्रकरण विवेचनाधीन है। सर्वप्रथम सूचनाकर्ता द्वारा ट्रक जलने की सूचना पर आगजनी प्रकरण क्रमांक 11/21 पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया। जाँच में आये तथ्यों के आधार पर कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 190/2021 धारा 406, 435, 120बी भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रकरण में धारा 407, 409 भादवि बढ़ाई गई। गिरफ्तारी संबंधी सूचना देने हेतु पुलिस अधीक्षक, विदिशा के आदेश क्रमांक- डीसीबी/72/22 दिनांक 27.01. 2022 के द्वारा 2,500 रु. का ईनाम घोषित किया गया है तथा प्रकरण के अनुसंधान हेतु एक विशेष टीम का गठन उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है। सूचना मिलने तथा मोबाईल लोकेशन के आधार पर फरार आरोपीगण की पीथमपुर जिला धार एवं अंजड़ जिला बड़वानी में समय-समय पर की गई है। जाँच में अनियमितता के दोषी पाये गये पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है। |

अनुभागाध्यक्ष अतिरिक्तारी
कस्बा रोड सागर,
गुड (पुलिस) विदिशा,
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

ALIG of Police
CTD, M.P., BHOPAL